

Chaudhary Charan Singh University, Meerut

PROVIS	IONAL ADMIT CARD (SESSION 2015-16)		
Name of the Candidate : ABHISHEK JINDAL	Father's Name : ASHOK KUMAR	Father's Name : ASHOK KUMAR	
Roll No. : 6075505	Class : LL.B 3 Year-YEAR-2-SEM-4		
Enroll. No. : M14110602	Type: Under Graduate (UG) Regular		
Category : General (Unreserved)	Gender : MALE		
College Studying : [607] RELIABLE INSTITUTE OF LAW MORT	A, DELHI-MEERUT ROAD, GHAZIABAD		
Examination Centre : [024] S.D. COLLEGE, GHAZIABAD		Alahiratelinder	
Subjects: Law	K.ái	Alon 2	
	(Controller of Examinations)	Form# 252137	

Subject	Paper
Law	PAPER-1 : K-4001 Company Law
Law	PAPER-2 : K-4002 Labour and Industrial Law
Law	PAPER-3 : K-4003 Environmental Law
Law	PAPER-4 : K-4004 (i) Criminology and Penology
Law	PAPER-5 : K-4007 Arbitration, Conciliation and Alternate Dispute Resolution (Practical Training)

Note: Students should bring this Admit Card for appearing in examination. Students failing to bring this Admit Card shall not be allowed to appear in the examination. **This Admit Card is provisional.** If 'Type' has status of 'FEE IS DUE', the candidate must pay the due fee to be eligible for appearing in examination. The result shall be declared subject to eligibility of the candidate.

अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक निर्देश

- उत्तर पुस्तिका पर अपने अनुक्रमांक निम्नवत लिखें अनुक्रमांक (अंकों में) | 6 0 7 5 5 0 5
 यदि अभ्यर्थी की फोटो अस्पष्ट / त्रुटियुक्त है, तो यह Admit Card किसी भी अवस्था में मान्य नहीं होगा |
 अभ्यर्थी को केंद्र के केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों के निर्देशों का सर्वथा अनुपालन करना होगा |
 उत्तर पुस्तिका पर आवरण पृष्ठ पर अंकित सूचनाओं के अतिरिक्त अन्य किसी पृष्ठ पर नाम, अनुक्रमांक या अन्य चिन्ह अंकित करना अनुचित साधन की श्रेणी में माना जायेगा |
 अभ्यर्थी अपनी उत्तर पुस्तिका कक्ष निरीक्षक के हाथ में सौंपे बिना परीक्षा कक्ष के बाहर नहीं जा सकेगा |
 परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार की पाठ्य पुस्तक / सहायक पुस्तक / मोबाइल / केलकुलेटर इत्यादि नहीं लायी जा सकती है | ऐसा पाए जाने पर केन्द्राध्यक्ष को छात्र के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का अधिकार होगा |
 परीक्षा कक्ष में अशाति उत्पन्न करने वाले अभ्यर्थी नियमानुसार दंड के भागी होंगे परीक्षा बिहण्कार करने / छूट जाने पर उस परीक्षा को पुनः संपन्न कराने का विश्वविचालय का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा |